

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2616/2022 नीतू रानी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर निर्स्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थीया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थीया वर्तमान में राउमावि, सिलोर, समदड़ी, जिला-बाडमेर में अध्यापक लेवल-2 विषय अंग्रेजी के पद पर कार्यरत है, जबकि याचिकार्थीया का गृहजिला श्रीगंगानगर है। याचिकार्थीया के कथनानुसार याचिकार्थीया की एक 3 वर्षीय बच्ची है तथा याचिकार्थीया के ससुर हृदय संबंधी गम्भीर रोग से पीड़ित है जिनकी देखभाल करने में याचिकार्थीया को दूरस्थ कार्य करते हुए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः याचिकार्थीया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर बाडमेर जिले से श्रीगंगानगर जिले के राउमावि चूनावढ़/रामावि 102/रामावि 3E छोटी/रामावि 17ML/रामावि 9LNP विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के अनुसार अध्यापक लेवल-2 पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक लेवल-2 का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर रथानान्तरण करने से जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक लेवल-2 के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभाग द्वारा जिलेवार एवं वर्गवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में रथानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अभ्यावेदन होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकाररकरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक को पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही वि-

चार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थीया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- ७/०५/२०२२

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/12829/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बाडमेर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
5. याचिकार्थीया नीतू रानी, अध्यापक लेवल-2, राउमावि, सिलोर, समदड़ी, जिला-बाडमेर (रजिस्टर)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)